



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272934
CG-DL-E-29052026-272934

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2614]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2614]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2707(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह निदेश देती हैं कि लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) के अधीन, केवल उक्त संघ राज्यक्षेत्र के भीतर नियमों को बनाने के लिए समुचित सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. 12011/01/2026-एल]

प्रशांत लोखंडे, अपर सचिव

